रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 30, 2000/चैत्र 10, 1922
No. 30] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 2000/CHAITRA 10, 1922

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2000

सं. 301-8/2000-टीआरएआई (इकॉन.).— भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप धारा (2) के अंतर्गत स्वयं को प्रदत्त इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कि, भारत और भारत से बाहर जिन टैरिफों पर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी उन्हें, शासकीय राजपत्र में आदेश द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्‌द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करता है ।

दूरसंचार टैरिफ (सातवां संशोधन) आदेश 2000

(2000 का क्रमांक 1)

भाग -I

शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

1. लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ :

(1) यह आदेश "दूरसंचार टैरिफ (सातवां संशोधन) आदेश,

2000" के नाम से जाना जाएगा ।

(ii) यह आदेश 1 अप्रैल 2000 से लागू होगा ।

भाग - II

टैरिफ

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में, क्रम संख्या 5, 6 और 12 की मदों के निमित्त, 1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च 2001 तक की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट टैरिफों/पल्स रेटों/ प्रभारों के कार्यान्वयन को चार महीना स्थगित किया जाता है । 1 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2000 तक की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट टैरिफ/पल्स रेट/ प्रभार, 31 जुलाई, 2000 तक लागू बने रहेंगे ।

भाग - III

व्याख्यात्मक ज्ञापन

3. इस आदेश के अनुलग्नक "क" में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन है जो इस आदेश में विनिर्दिष्ट टैरिफों को स्पष्टता और पारदर्शिता प्रदान करता है ।

आदेशानुसार,

हर्ष वर्धन सिंह, आर्थिक सलाहकार

[विज्ञापन/3/4/असाधारण/142/99]

अनुलग्नक "क"

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 में टैरिफों के पुनः संतुलन की ऐसी परिकल्पना थी कि, किराये में वृद्धि के साथ-साथ, एसटीडी और आईएसडी के कॉल प्रभारों में कमी होती जाए, इससे वर्तमान प्रचालकों के राजस्व पैटर्न में परिवर्तन आ गया । डीटीएस और एमटीएनएल इनमें शामिल थे ।

2. टैरिफ पुनः संतुलन कार्यक्रम में सन्निहित, किरायों में वृद्धि के साथ-साथ एसटीडी/आईएसडी काल प्रभारों में कमी, कार्यान्वयन की दृष्टि से, एक कालावधि के लिए बहुत अधिक तेज आकलित की गई थी। इसलिए इसको तीन कालावधियों में कार्यान्वित किया जाना था। पहली कालावधि 1 अप्रैल, 1999 से शुरू हुई। दूसरी कालावधि को 1 अप्रैल 2000 से शुरू होना था।

3. दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 के व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैराग्राफ 73 में प्राधिकरण ने कहा है कि :

"प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि राजस्व और यातायात याने ट्रैफिक के संबंध में वह स्थिति की मानीटरिंग करेगा और आवश्यकता होने पर, हस्तक्षेप करेगा बशर्ते कि इस कार्यक्रम में परिकल्पित प्रत्याशाओं से वास्तविक स्थिति काफी भिन्न हो जाए।

4. दूरसंचार सेवा विभाग (''डीटीएस'') ने टीआरएआई को बताया है कि 1999-2000 वित्तीय वर्ष के दौरान ''डीटीएस के राजस्व में निवल प्रतिकूल प्रभाव लगभग 2000-2200 करोड़ रुपए की सीमा तक हो सकता है। डीटीएस ने अत: यह अनुरोध किया कि'' प्राधिकरण कृपया समीक्षा करे, टी टी ओ 99 को देखें, जिसके अनुसार 1 अप्रैल, 2000 से दीर्घ दूरिक प्रभारों में और अधिक कमी हो जानी है ताकि डीटीएस को और ज्यादा नुकसान न हो और वह अपने विस्तार कार्यक्रमों के लिए पैसा जुटा सके।

5. टैरिफों की समीक्षा ठीक तरीके से करने के लिए, टीआरएआई को सभी प्रचालकों से, 1999-2000 के पूरे वित्तीय वर्ष के आंकड़ों की जरूरत होगी। अभी तक ये आंकड़े तीन चार महीने पीछे चल रहे हैं। इसलिए 1 अप्रैल 2000 से पहले, याने जिस तारीख को दूसरी कालावधि कार्यान्वित होनी है, उससे पहले समीक्षा कर पाना संभव नहीं है।

6. प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि, दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में विनिर्दिष्ट टैरिफों की समीक्षा, पूरे वित्तीय वर्ष के आंकड़ों के आधार पर की जाए। इस निर्णय को देखते हुए, टैरिफ पुनः संतुलन की दूसरी कालावधि का

कार्यान्वयन जो 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2001 तक के लिए था, चार महीने स्थगित कर दिया गया है । 1 अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2000 तक की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट टैरिफ/ पल्स रेट / प्रभार, 31 जुलाई, 2000 तक लागू बने रहेंगे ।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2000

No. 301-8/2000-TRAI(Econ.).— In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 to notify, by an Order in the Official Gazette, tariffs at which Telecommunication Services within India and outside India shall be provided, the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order.

The Telecommunication Tariff (Seventh Amendment) Order 2000 (1 of 2000)

Section I

Title, Extent and Commencement

1. Short title, extent and commencement :

   (i) This Order shall be called "Telecommunication Tariff (Seventh Amendment) Order 2000."

   (ii) The Order shall come into force with effect from April 1, 2000.

Section II

Tariff

2. For items 5, 6 and 12 in the Telecommunication Tariff Order, 1999, the implementation of tariffs/pulse rates/charges specified for the period 1st April, 2000 to 31st March, 2001 shall be postponed by four months. Tariffs/pulse rates/charges specified for the period 1st April, 1999 to 31st March, 2000 shall continue to apply till 31st July, 2000.

Section III

Explanatory Memorandum

3. This Order contains at Annex A, an Explanatory Memorandum to provide clarity and transparency to the tariffs specified in this Order.

By Order,
HARSHA VARDHANA SINGH, Economic Adviser
[ADVT/3/4/Exty./142/99]

Annex A

Explanatory Memorandum

1. The Telecommunication Tariff Order, 1999 (TTO '99) envisaged re-balancing of tariffs wherein an increase in the rentals was accompanied with a reduction in call charges for STD and ISD. This resulted in a change in the revenue pattern for existing operators including the DTS and MTNL.

2. The increase in rentals and the reduction in STD/ISD call charges encompassed in the tariff re-balancing exercise were assessed to be too steep to be implemented in one phase. Therefore, the implementation of tariff re-balancing was specified in three phases. The first phase commenced with effect from 1st April 1999 and was to be followed by the second phase with effect from 1st April 2000.

3. The Authority had stated in paragraph 73 of the Explanatory Memorandum to the Telecommunication Tariff Order, 1999 that:

> "The Authority has decided that it will monitor the situation in regard to revenues and traffic and, if necessary, intervene provided the actual situation differs substantially from the expectations assumed in this exercise"

4. The Department of Telecom Services ("DTS") has communicated to TRAI that during the financial year 1999-2000, "the net adverse impact on the revenues of DTS may be in the range of approximately Rs. 2000-2200 crores". As such DTS has requested the Authority to review the TTO '99 which prescribes further reduction in long distance charges w.e.f. 1st April, 2000 so that the DTS does not face further loss of revenue, curtailing its capability to finance further expansion programmes.

5. To conduct a proper review, the TRAI requires data for the entire financial year 1999-2000, from all operators. The data has so far been available with a lag of about three to four months. It is, therefore, not possible to carry out the tariff review before 1st April, 2000, i.e. the date on which the second phase is to be implemented.

6. The Authority decided to review the tariffs specified in Telecommunication Tariff Order, 1999, on the basis of data for the entire financial year. In view of this decision, implementation of the second phase of tariff re-balancing that was to begin from 1st April, 2000 to 31st March, 2001 has been deferred by four months. Tariffs/pulse rates/charges specified for the period 1st April, 1999 to 31st March, 2000 shall continue to apply till 31st July, 2000.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.